

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़ / दुर्गा / 09 / 2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधिकार)

### प्राधिकार से प्रदर्शित

[क्रमांक 70 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 फरवरी 2014 — माघ 16, शक 1935

#### छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 फरवरी, 2014 (माघ 16, 1935)

क्रमांक-4669/वि.सा/विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की ग्राहिता तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपरांठों के साथ में छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संसोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 235, 2014) लोबुधवार दिनांक 5 फरवरी, 2014 को गृहरस्थापित कुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये अकलित किया जाता है।

हस्ता/-  
(पर्याप्त यमा)  
अमुख सचिव.

**छत्तीसगढ़ विधेयक**  
**(क्रमांक 2 सन् 2014)**

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014**

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्र. 20 सन् 1981) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत मणिराज्य के पैसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

- |                               |    |  |
|-------------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम तथा<br>प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.<br>(2) यह 31 अगस्त, 2013 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा.  |
| धारा 2, 3 एवं 5 का<br>संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्र. 20 सन् 1981) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2, 3 एवं 5 में, जहां कहीं भी शब्द “सचिव” आया हो के स्थान पर, शब्द एवं स्लैश “प्रमुख सचिव/सचिव” प्रतिस्थापित किया जाये। |
| धारा 5 का संशोधन.             | 3. | मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) तथा इस उप-धारा के परन्तुक में, जहां कहीं भी शब्द “साठ” आया हो के स्थान पर, शब्द “बासठ” प्रतिस्थापित किया जाए।   |
| निरसन.                        | 4. | छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्र. 3 सन् 2013) एतद्वारा, निरसित किया जाता है।  |

**उद्देश्य और कारणों का कथन**

राज्य शासन ने शासकीय सेवकों की अधिवार्पिकी आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का विनिश्चय किया है। इस संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2013 प्रख्यापित किया गया है। अध्यादेश के अनुःनार, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्र. 20 सन् 1981) की धारा 2, 3, 5 एवं धारा 5 की उप-धारा (1) तथा इसके परन्तुक में जहां कहीं भी शब्द “साठ” एवं “सचिव” आया हो के स्थान पर, शब्द “बासठ” एवं “प्रमुख सचिव/सचिव”, क्रमशः प्रतिस्थापित किया जायेगा। जैसा कि छत्तीसगढ़ विधान सभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, अतएव, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाया जाये।

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

## परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला विवरण

राज्य शासन ने शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का विनिश्चय किया है। इस संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 03 सन् 2013) प्रख्यापित किया गया है। अध्यादेश दो अनुसार छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्र. 20 सन् 1981) की धारा 5 की उप-धारा (1) तथा इसके परन्तुक में जहां कहीं भी शब्द “साठ” आया हो के स्थान पर, शब्द “बासठ” प्रतिस्थापित किया गया।

अध्यादेश के अनुसार, रूपभेद कर छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्र. 20 सन् 1981) की धारा 2, 3, 5 एवं धारा 5 की उप-धारा (1) तथा इसके परन्तुक में जहां कहीं भी शब्द “साठ” एवं “सचिव” आया हो के स्थान पर, शब्द “बासठ” एवं “प्रमुख सचिव/सचिव”, क्रमशः प्रतिस्थापित किया जायेगा।

अतएव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 03 सन् 2013) के स्थान पर रूपभेद सहित छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 पुरास्थापित किया जा रहा है। उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण की, जिनको अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था, तीन प्रतियां नियम 101 (1) के अंतर्गत संलग्न हैं।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

### उपार्थ

#### छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 (क्र. 20 सन् 1981) की धारा 2, 3 एवं 5 के सुसंगत उद्धरण

**धारा-2-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-  
 (क) “सचिव” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का सचिव,  
 (ख) “सेवा” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा,  
 (ग) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ विधान सभा का अध्यक्ष,

**धारा-3-** छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा का गठन किया जायेगा जिसमें सचिव और ऐसे प्रवर्गों के तथा ऐसी संख्या में अन्य अधिकारी और कर्मचारी होंगे जैसा कि राज्यपाल, अध्यक्ष से परामर्श करके, समय-समय पर अवधारित करें।

**धारा-5-** “(1) उपधारा (2) तथा (3) के उपर्योगों के अध्यधीन रहते हुए सेवा का प्रत्येक सदस्य उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

परन्तु सेवा में का प्रत्येक सदस्य जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा,

(2) सेवा में का चतुर्थ वर्ग का कोई कर्मचारी उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन वे अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा,

परन्तु सेवा में का चतुर्थ वर्ग का कोई कर्मचारी जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(3) अध्यक्ष, यदि वह विधान सभा सचिवालय के दक्षतापूर्ण कार्य करणे के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है, सेवा में के किसी सदस्य के सेवाकाल में अधिवार्षिकी आयु के परे, कुल मिलाकर दो वर्ष से अनाधिक कारावधि की वृद्धि कर सकेगा,

(4) सचिव यह सेवा में नियुक्त किये गये अन्य व्यक्ति को, उसकी पचापन वर्ष की आयु हो चुकने के पश्चात्, किसी भी समय, बिना कोई कारण बतलाए, उसे तीन मास की लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।

परन्तु सेवानिवृत्त की सूचना के बदले तीन मास के वेतन का भुगतान अंतिम आहरित (तास्टद्वान) वेतन की दर से करके, तत्काल प्रभावशील किया जा सकेगा।

देवेन्द्र वर्मा  
प्रमुख सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधान सभा।